निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 241/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कार्यालय कूकस, दिल्ली रोड, बस स्टेण्ड के पास, कूकस, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

बाबूलाल बुनकर पुत्र श्री गंगाराम बुनकर

निवासी ग्राम भानपुर कला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थी ऋणी

एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—विभागीय प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 1-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 28.02.2013 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री बाबूलाल बुनकर के स्वामित्व की सम्पत्ति भूमि प्लाट एवं मकान स्थित ग्राम भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 105.87 वर्गगज को बन्धक बना कर कुल 3,25,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नही है।
3. प्रार्थी के विभागीय प्रतिनिधि को गौर सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.10.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः पंजाब केसरी एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 17.02.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रो की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी श्री बाबूलाल बुनकर के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट एवं मकान स्थित ग्राम भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्रफल 105.67 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 1-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)